॥ इदं राष्ट्राय इदन्न मम ॥

भारत स्वाभिमान (न्यास)
BHARAT SWABHIMAN (NYAS)

क्रमांक .... दिनांक 22.11.2011

आदरणीय प्रधानमंत्री जी,

सादर नमस्ते!

भारत की संस्कृति एवं परम्परा में ऋषि-मुनि-संन्यासी राष्ट्रहित में शासकों को न्यायपूर्ण राज्य के लिये सदा से राष्ट्रधर्म से अवगत कराते रहे हैं। मैं एक संन्यासी हूँ। राजनीति में सक्रिय रूप से कार्य करना मेरे संन्यास-आश्रम धर्म के विरुद्ध है, तथापि महर्षि वसिष्ठ, विश्वामित्र, सन्दीपनि, महर्षि दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द, महायोगी अरविन्द व पूज्य महात्मा गाँधी आदि को अपना आदर्श मानते हुए देश की जनता की भलाई के लिए कार्य करना मैं अपना नैतिक, संवैधानिक व आध्यात्मिक कर्त्तव्य समझता हूँ।

आप विश्व के सुविख्यात अर्थशास्त्री हैं एवं वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं, इस नाते समस्त भारत की जनता के लिए आप पिता-तुल्य हैं और उनके पालन-पोषण, रक्षण का दायित्व आप पर है। नीतिकार चाणक्य ने अपने अर्थशास्त्र में कहा है-''सुखस्य मूलं धर्मः, धर्मस्य मूलम् अर्थः, अर्थस्य मूलं राज्यम्, राज्यस्य मूलम् इन्द्रियजयः''। इसमें ऐश्वर्य और समृद्धि का आधार राज्य बताया गया है। एक सुराज्य में ही अर्थ का अर्जन, रक्षण, वर्धन, वितरण तथा उससे समतामूलक सर्वांगीण विकास सम्भव है, जिससे प्रजा व राष्ट्र में खुशहाली आ सकती है। विधिकार महर्षि मनु का अर्थ के सम्बन्ध में कथन है-''सर्वोषामेव शौचानाम् अर्थशौचं परमं स्मृतम्'' अर्थात् समस्त पवित्रताओं में आर्थिक शुचिता सर्वश्रेष्ठ है।

वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जनहित व राष्ट्रहित के **तीन मुख्य मुद्दों** को लेकर भ्रष्टाचार, पक्षपात एवं शोषण से पीड़ित करोड़ों देशवासियों की ओर से मैं यह पत्र आपको लिख रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि आप एक से दो सप्ताह में राष्ट्रीय दृष्टि से अतिमहत्त्वपूर्ण इन मुद्दों पर केन्द्र सरकार की नीति व कार्यवाही से हमें अवश्य अवगत करायेंगे। आज पूरा राष्ट्र ही नहीं अपितु सम्पूर्ण विश्व एक बहुत बड़े आर्थिक युद्ध के दौर से गुजर रहा है। भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का केन्द्र है। यदि केन्द्र सरकार विदेशों में जमा कालाधन व देश की आन्तरिक व्यवस्था में चल रही समानान्तर काले धन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने की दिशा में तत्काल मजबूती व प्रामाणिकता के साथ कार्यवाही करती है तो भारत को विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। **कालेधन** के साथ ही **भ्रष्टाचार** एवं सामाजिक विषमता व संघर्ष को भी समाप्त करने के लिए **व्यवस्था परिवर्तन** के दिशा में भी केन्द्र सरकार को तत्काल प्रभावी कदम उठाने की नितान्त आवश्यकता है।

लोकतन्त्र में सरकारें राष्ट्रहित में संवैधानिक कार्य करने के लिए चुनी जाती हैं और यदि सरकार अपना संवैधानिक व नैतिक दायित्व नहीं निभा रही है तो वह सत्ता में रहने का अपना नैतिक अधिकार खो देती हैं। यदि केन्द्र सरकार ने शीतकालीन सत्र में तीन मुद्दों पर तर्कपूर्ण, व्यवहारिक व अत्यन्त आवश्यक निम्नलिखित कदम नहीं उठाये, तो मुझसहित देश के 121 करोड़ लोग लोकतान्त्रिक तरीके से पूरे देश में आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे और उसके लिए पूरी तरह से केन्द्र सरकार जिम्मेदार होगी। आज पूरी दुनियां एक क्रान्तिकारी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। 80 से ज्यादा देशों में बड़े आंदोलन चल रहे हैं कुछ देशों में परिवर्तन हो चुका है, तो कुछ में हो रहा है। यदि आप इन तीन मुद्दों पर समग्रता के साथ ठोस कदम नहीं उठायेंगे तो भारत में भी केन्द्र सरकार की नीतियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश के लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार होगी और यदि आप राष्ट्रहित में इन तीन मुद्दों पर साहसपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय लेते हैं तो यह देश सदा-सदा के लिए आपको कृतज्ञता पूर्वक याद करेगा। अन्यथा अधिकांश देशवासी जो इस पक्षपातपूर्ण शासन व्यवस्था के कारण गरीबी, भूख, अभाव, अशिक्षा, मंहगाई एवं बेरोजगारी के साथ-साथ नक्सलवाद माओवाद व अन्य आर्थिक व सामाजिक विषमताओं के शिकार होकर संकटों व संघर्षों

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बहादराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वेब : bharatswabhimantrust.org

से जूझ रहे हैं और देश का लगभग 400 लाख करोड़ रुपये लूट लिया गया है। हमारे देश के इस कालेधन से देश के कुछ बेईमान व गद्दार लोग तथा यूरोप व अन्य देश विलासता व विकास कर रहे हैं और हम करोड़ों भारतीय भूख, बेबसी व अपमान की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं।

मुझे पूरा विश्वास है कि राष्ट्रहित में हमारे निम्नलिखित तीन मुद्दों पर केन्द्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में ठोस व निर्णायक कदम उठायेगी।

कालेधन के साथ-साथ भ्रष्टाचार व भ्रष्ट व्यवस्था को समाप्त करने के लिये भी हम केन्द्र सरकार की नीति जानना चाहते हैं और सम्पूर्ण राष्ट्र की ओर से आग्रह करते हैं कि यदि सरकार वास्तविक रूप से गम्भीर है तो संसद के शीतकालीन सत्र में निम्न तीन कदम उठावें :-

I. 121 करोड़ लोगों के हित का हमारा मुख्य मुद्दा कालाधन देश को दिलाना :-

भारतीय नागरिकों के विदेशों में जमा कालेधन व अवैध सम्पत्ति को केन्द्र सरकार इसी शीतकालीन संसद सत्र में एक प्रस्ताव लाकर राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करे और विदेशों में जमा कालेधन का पता लगाने के लिए सरकार निम्नलिखित उपायों या प्रक्रियाओं पर तत्काल कार्यवाही करे। साथ ही देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था में जमा कालेधन को समाप्त करने के लिए मुख्य रूप से दो उपायों को तुरन्त क्रियान्वित करके इस देश को आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलवाए।

A. विदेशों में जमा कालेधन का पता लगाने व देश में वापिस लाने के लिए मुख्य प्रक्रियाएं :-

1. सरकार द्वारा नियुक्त योग्य अधिकारी के माध्यम से गत 30 वर्षों में जो भी लोग विधानसभा व लोकसभा के सदस्य रहे हैं एवं **वर्तमान में भी जितने भी लोग विधायक व सांसद हैं वे सभी एक शपथ-पत्र भरकर अपनी सम्पत्ति का पूरा विवरण विधानसभाध्यक्ष, लोकसभाध्यक्ष, राज्य सभा के सभापति अथवा प्रधानमंत्री को उपलब्ध करावें** और उसमें पूरा विवरण हो कि उनका, उनके परिवार व उनसे सम्बद्ध अन्य व्यक्ति/संस्थानों का देश व विदेश के किस बैंक में कितना पैसा व अन्य सम्पत्ति है साथ ही देश में भी उनके अथवा उनसे सम्बद्ध व्यक्तियों व संस्थानों के नाम से कितनी भूमि, भवन, धन व अन्य सम्पत्ति है। जिन लोगों की मृत्यु हो चुकी है उनके उत्तराधिकारी ये शपथ-पत्र दें।
2. देश के लोगों का लोकतन्त्र में विश्वास कायम रखने के लिए इसी शीतकालीन सत्र में केन्द्र सरकार एक प्रस्ताव लेकर आये कि जो भी लोग गत 30 वर्षों में मेयर, विधानसभा व लोकसभा के सदस्य आदि शीर्ष राजनैतिक पदों पर रहे हैं उन पर उनके शपथ पत्र के आधार पर तथा प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी व 20 करोड़ से अधिक का व्यापार करने वाले बड़े उद्योगपतियों पर बिना किसी पक्षपात के समानरूप से सरकार **प्रिवेंशन ऑफ करप्शन और मनी लाँडरिंग एक्ट्स आदि के तहत एक जनरल पर्पस F.I.R. दर्ज** करके दुनियां के सभी देशों से उन देशों में जमा उनके परिवार व उनसे जुड़े व्यक्ति व संस्थानों के धन व अन्य सम्पत्ति के बारे में विवरण मांगना चाहिए। यदि किसी के भी नाम विदेशों में अवैध धन या अवैध सम्पत्ति है तो इस एक्ट के तहत दुनियां के सभी देश बिना

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बहादराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वैब : bharatswabhimantrust.org

किसी सन्धि के ही यू.एन. के प्रावधानों के तहत हमें इन सभी व्यक्तियों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराने के लिए बाध्य हैं। क्योंकि दुनियाँ के सभी 204 देश करेप्शन एण्ड मनी लोंड्रिंग को समान रुप से संज्ञेय अपराध मानते हैं। जिन लोगों के नाम अवैध धन व अवैध सम्पत्ति होगी उसके बारे में इस एक्ट के तहत भारत सरकार को पूरी जानकारी मिल जाएगी तथा जिन लोगों के नाम देश व विदेशों में अवैध धन या अवैध सम्पत्ति के नाम पर कुछ भी नहीं है, पूरा देश उन नेताओं, अधिकारियों व बड़े व्यापारियों को इज्जत की दृष्टि से देखेगा, वे अग्नि परीक्षा में उत्तीर्ण होकर जब निकलेंगे तो यह उनकी ईमानदारी का सबसे बड़ा प्रमाण होगा।

3. पूरे विश्व में करेप्शन और मनी लॉड्रिंग के विरुद्ध कार्यवाही के लिए **पॉलिटिकली एक्स्पोस्ड पर्सन्स** (पी.ई.पी.) एक सर्वमान्य प्रावधान व मानदण्ड है। इसके आधार पर कालेधन के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय आधार पर सूचनाओं के आदान-प्रदान व गहन शोध और लूटी हुई सम्पत्ति के रिकवरी करने का प्रावधान है। **अतः केन्द्र सरकार को पी. इ.पी. के तहत बोफोर्स से लेकर के 2जी व कॉमनवेल्थ घोटाला आदि सभी घोटालों में लिप्त व्यक्तियों पर तुरन्त कार्यवाही करके उनके विदेशी खातों के बारे में तुरन्त जानकारी हासिल करनी चाहिये।** साथ ही 'युनैटेड नेशन्स कन्वेन्शन एगेन्स्ट करप्शन'-2003 (यू.एन.सी.ए.सी.) विश्व का कानूनन दृष्टि से एक बहुत ही मजबूत व कारगर माध्यम है । इसके 'पॉलिटिकली एक्स्पोस्ड पर्सन्स' के प्रावधानों के तहत्, केन्द्र सरकार को विदेशों में छुपा कालाधन का पता लगाने व देश में वापस लाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास करना चाहिये साथ ही आगे से कालाधन जमा न हो इसके लिये सभी प्रावधान करना चाहिये।

इसके अतिरिक्त विश्व की शीर्ष एजेंसियाँ जो 'पॉलिटिकली एक्सपोस्ड पर्सन्स' के विषय में अन्तर्राष्ट्रीय प्रावधान व सहयोग करते हैं, वे हैं:-

(i) 'फैनॉन्शियल एक्शन टास्क फोर्स एगेन्स्ट मनी लॉन्ड्रिंग'-2003 (एफ.ए.टी.एफ.)
(ii) 'यूनाइटेड् नेशन्स ऑफिस ऑफ ड्रग्स एण्ड क्राइम'-2002 (यू.एन.ओ.डी.सी.)
(iii) 'थर्ड इ.यू. मनी लॉन्ड्रिंग डॉइरेक्टिव -2005
(iv) वर्ल्ड बैंक और यू.एन.ओ.डी.सी. के साँझा उपक्रम 'स्टोलन एसेस्ट्स रिकवरी इन्शियेटिव' 2007 (एस.टी.ए.आर.)
(v) बेसिल कमेटी ऑन बैंकिंग सुपरविज़न का 'कस्टमर ड्यू डेलिजन्स फॉर बैंक्स,' (बैंक फॉर इन्टरनेशनल सेटलमेन्ट्स, (2001)
(vi) 'ऑर्गनैजेशन फॉर एकोनोमिक् को-ऑपरेशन एण्ड डवलेपमेन्ट' 1961 (ओ.ई.सी.डी.) आदि।

4. देशी विदेशी बैंकों के खाताधारकों, एफ.डी.आई., एफ.आई.आई. के माध्यम से जो भी धन देश में है या आ रहा है तथा शेल कम्पनी, ट्रस्ट व अन्य वित्तीय संस्थानों के **'बेनिफिशियल ओनरशिप'** को डिक्लेयर करने का प्रावधान तुरन्त करना चाहिये।

इन उपरोक्त प्रावधानों के तहत कार्यवाही करके, कालाधन लाना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि विश्व के सभी बड़े अर्थशास्त्रियों व स्वतन्त्र आर्थिक विश्लेषक संस्थाओं ने भी स्वीकार किया है कि **भारत द्वारा विभिन्न देशों के साथ की गई दो मुख्य सन्धियाँ टेक्स इन्फोर्मेशन एक्स्चेंज अग्रीमेन्ट (टी.आई.इ.ए.) और डबल टक्सेशन अवाइडेंस अग्रीमेन्ट्स (डी.टी.ए.ए.) विदेशों में जमा कालेधन की जानकारी प्राप्त करने तथा देश में लाने में पूरी तरह सक्षम नहीं है।**

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बहादराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वेब : bharatswabhimantrust.org

B. देश की आन्तरिक अर्थव्यवस्था में जमा कालेधन व अवैध सम्पत्ति को खत्म करने के लिए दो महत्त्वपूर्ण उपाय या प्रक्रियाएं :-

(i) विश्व के बड़े अर्थशास्त्रियों कर-विशेषज्ञों व करप्शन वॉचडोग्स की एक बात पर सहमति है कि भारत की कर-प्रणाली बहुत ही जटिल तथा कालाधन, भ्रष्टाचार, मंहगाई, गरीबी, आदि को बढ़ावा देने वाली है। साथ ही यह गरीबोन्मुखी नहीं है, क्योंकि हमारी कर-प्रणाली में एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है जिसे सम्पन्न लोग अदा करते हैं, तथा 31 प्रकार के परोक्ष कर हैं जिनका बोझ हिन्दुस्तान के 100 करोड़ से अधिक गरीब व आम लोगों पर पड़ता है। **हमारी दोषपूर्ण कर-प्रणाली के कारण उपभोक्ता को उत्पादों के मूलभूत मूल्य पर 50% से 100% करों के रुप में अतिरिक्त कीमत देनी पड़ती है।** जो कि उपभोक्ता के मौलिक अधिकारों व हितों के विरुद्ध है तथा वैश्विक दृष्टि भी तुलनात्मक रुप से यह अत्यधिक है। अत: हमारी कर-प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है।

हमारा प्रस्ताव है- कस्टम्स/इम्पोर्ट आदि बाह्य करों को छोड़कर, सभी प्रकार के घरेलू करों को समाप्त करके एवं 1% से 2% बैंक ट्रांजेक्शन टैक्स (B.T.T.) लगाकर, 100 रुपये, 500 रुपये व 1000 रुपये के बड़े नोट वापस लेने पर कालाधन, भ्रष्टाचार, कालेधन्धे, मंहगाई, गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी, नकली करेंसी, नक्सलवाद व आतंकवाद आदि सभी अनैतिक व अवैध कार्यों पर एक अंकुश लगाया जा सकता है। इन मुद्दों पर संसद तथा देश में व्यापक व निष्पक्ष बहस करके एक साहसिक व व्यवहारिक बड़ा निर्णय करना चाहिये। इसकी पूरी जानकारी का पत्रक हम इसके साथ संलग्न कर रहे हैं। देश के विकास के लिए तथा किसानों व गरीबों के उत्थान के लिए इस प्रक्रिया से सरकार को प्रतिवर्ष 15 से 30 लाख करोड़ रुपये कर के रूप में भी आसानी से उपलब्ध होगा। वर्तमान अर्थव्यवस्था में 'रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया' के अनुसार प्रतिदिन औसत ढ़ाई लाख करोड़ रुपये तथा साल भर में लगभग 700 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन बैंक से होता है, बड़े नोट वापस लेने के बाद व सभी टैक्स समाप्त करके B.T.T. लागू होने पर प्रतिवर्ष लगभग 1500 से लेकर 2000 लाख करोड़ रुपये का ट्रांजेक्शन होगा। यदि हम विकास कार्यों व देश को चलाने के लिए 1% ट्रांजेक्शन टैक्स रखेंगे तो भी पर्याप्त होगा। बड़े नोट व अधिक टैक्स अनअकॉउन्टेड मनी का मुख्य कारण है। **गरीब लोगों का तथा बैंकिंग सिस्टम से न जुड़े आम लोगों का आर्थिक व्यवहार 50 रु. या उससे छोटे नोटों से आसानी से चल जाएगा। भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भी गरीब आदमी को 26 रु. से 32 रु. से कम की ही औसत आमदनी प्रतिदिन होती है।** इस प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार और राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष बहस की नितान्त आवश्यकता है।

(ii) पैतृक भूमि व अन्य पैतृक सम्पत्ति आदि को छोड़कर जिन व्यक्तियों, परिवारों, कम्पनियों व संस्थानों के पास पांच करोड़ से अधिक की सम्पत्ति है उनकी जांच के लिए, जिन सरकारी अधिकारियों का पूरा जीवन निष्कलंक रहा है उनकी निगरानी में एक शक्ति सम्पन्न समिति का गठन करके पूरी जांच करने के बाद जो भी अवैध भूमि, भवन व आय से अधिक अन्य सम्पत्ति आदि मिले उसे राजसात (स्टेट प्रोपर्टी) घोषित कर देना चाहिये।

5. **<u>फिजिकल व टैक्नीकल इन्वेस्टिगेशन</u>** : सभी विदेशी दूतावासों से जारी किए गए वीजा व इमीग्रेशन विभाग से विदेश जाने वाले शीर्ष राजनेता प्रथम श्रेणी के सरकारी अधिकारी व बड़े उद्योगपतियों की विदेश यात्रा व उसके उद्देश्य के बारे में प्रामाणिक जानकारी एकत्रित करना तथा इन्टरनेशनल गेटवेज पर सर्विलेंस लगाकर देश में रहकर विदेशों में अपने खातों का संचालन कर रहे लोगों के बारे में पता लगाना और उस पर कार्यवाही करना।

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बाहदराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वेब : bharatswabhimantrust.org

6. **मोरीशस रूट** से जितना भी धन देश में आया है उसके रूट के बारे में पता लगाने के लिए सरकार संसद में कानून लेकर आये जिससे कि मोरीशस आदि के रास्ते से आने वाले धन के सही स्रोत का पता लगाया जा सके।
7. देश में जितने भी विदेशी बैंक खुले हैं उनमें धन जमा करने वाले व्यक्ति, कंपनियों व संस्थानों तथा देश के सभी बैंकों में से किसी भी शाखा से विदेश में धन जाने पर उसकी निगरानी के लिए एक **विशेष वित्तीय समिति** गठित होनी चाहिए।

II. भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए सरकार को शीतकालीन संसद सत्र में तत्काल प्रभाव से तीन कदम उठाने चाहिएं इससे लगेगा कि सरकार भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए वास्तव में बहुत ही गंभीर है।

1. मजबूत **जन-लोकपाल बिल** को इसी शीतकालीन संसद सत्र में पारित कराएं।
2. स्थापित न्याय व कानून व्यवस्था को जिसमें जन प्रतिनिधि, कोर्ट, पुलिस, रेवन्यु अधिकारी सभी सरकारी विभागों के शीर्ष अधिकारी आदि के रूप में लगभग 33 लाख सरकारी अधिकारी देश के 121 करोड़ लोगों को प्रतिदिन न्याय देने का काम करते हैं, इनके भीतर उच्च नैतिकता व आध्यात्मिकता लाने के लिए ठोस रणनीति बनावें। **कार्य पालिका, विधायिका, न्यायपालिका को और अधिक पारदर्शी व जवाबदेह बनाने हेतु सम्बन्धित कानूनों में आवश्यक संशोधन करें।**
3. आर्थिक नीतियों व स्थापित कर प्रणाली में एक क्रान्तिकारी न्यायपूर्ण परिवर्तन करके कस्टम्स/इम्पोर्ट ड्यूटी आदि बाह्य करों को छोड़कर **सभी प्रकार के घरेलू करों को समाप्त करके 1% से 2% ट्रांजेक्शन टैक्स को लागू करना** तथा देश को धीरे-धीरे चेक, ड्राफ्ट, बैंक ट्रांसफर, डेबिट व क्रेडिट कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मोबाईल ट्रांसफर आदि पर आधारित **कैश फ्री इकोनोमी** की ओर ले जाना। बड़े नोटों के बन्द होने से तथा एकमात्र न्यूनतम ट्रांजेक्शन टैक्स होने से जहाँ जनता को, व्यवसायियों को विभिन्न 32 प्रकार के टैक्सों से निजात मिलेगा, वहीं कालाधन व भ्रष्टाचार 99% खत्म हो जायेगा। यह एक प्रस्ताव है जिस पर तत्काल राष्ट्रीय स्तर पर निष्पक्ष बहस होनी चाहिए।

यदि सरकार विदेशों में जमा कालेधन व अवैध सम्पत्ति को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करके उसको वापस लाने की प्रक्रिया पर तत्काल प्रभाव से कार्य नहीं करती तथा देश में जमा कालेधन की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने के लिए उपरोक्त जरुरी कदम नहीं उठाती तो देश के लोगों को यह संदेह होगा कि विदेशों में जमा कालाधन तथा देश में जमा अवैध धन या तो सरकार के ही लोगों का है या उनके द्वारा संरक्षित लोगों का है।

III. व्यवस्था परिवर्तन के मुख्य छः बिन्दु :

1. **राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन** – राष्ट्रीय किसान आय आयोग का गठन करके किसानों को जितनी पैदावार वो अपने खेत में करते हैं उसके बराबर के मूल्य की उनको अतिरिक्त धनराशि (कम्पनसेशन) देना जिससे कि एक भी किसान आत्महत्या के लिए बाध्य न हो तथा देश को मंहगाई तथा किसानों को गरीबी से मुक्त किया जा सके। गाँव, गरीब, मजदूर, कारीगर, दलित व किसान को उनकी आबादी के अनुसार सत्ता व बजट में भागीदारी दिलाना तथा इनके श्रम के मूल्यांकन में चल रहे पक्षपात को मिटाकर इनको आर्थिक व सामाजिक न्याय दिलाना। आजादी की लड़ाई इन्हीं लोगों ने लड़ी। अत: पहले अंग्रेजों ने भूमि अधिग्रहण का कानून बनाकर तथा इन सबको

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बहादराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वैब : bharatswabhimantrust.org

अकुशल श्रमिक का दर्जा देकर इनका शोषण किया, वही काम आजाद भारत में भी हो रहा है, यह बहुत ही शर्मनाक है। हम सब के पूर्वज मूलतः गाँववासी थे, भारत की आत्मा गांवों में बसती है। हमें शाइनिंग इंडिया व दरिद्र भारत के बीच की दीवार को मिटाना है।

2. **समान शिक्षा व्यवस्था** – भारतीय भाषाओं में उच्च आध्यात्मिक मूल्यों व संस्कारों के साथ सबको निःशुल्क समान शिक्षा का मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा होने से देश के बच्चे चरित्रवान् होंगे, वे देश के गद्दार न बनकर सच्चे पहरेदार बनेंगे। बच्चे बचपन से ही नैतिकता के इतने ऊँचे आदर्शों में ढल जायेगें कि वे जीवन में कभी भी भ्रष्टाचार, अनैतिक आचरण व अवैध काम नहीं करेंगे। वे स्वतः आत्मानुशासन में रहेगें। शिक्षा में मूलभूत परिवर्तन के लिए बिना देश को भ्रष्टाचार व अनैतिक आचरण से छुटकारा नहीं मिल सकता। जर्मनी, फ्रांस, चीन व जापान की तरह अपनी भाषाओं में शिक्षा व्यवस्था होने पर गाँव, गरीब, मजदूर व किसान के बच्चे को भी डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक, आई.ए.एस. व आई.पी.एस. बनने का अवसर मिलेगा। हम आधुनिकता, विकास, विज्ञान एवं तकनीकी के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि अंग्रेजी के समानान्तर अपनी भाषा में विज्ञान एवं तकनीकी आदि की शिक्षा हो। क्या जापान, जर्मनी व फ्रान्स आदि देशों में आधुनिक कला, विकास एवं विज्ञान व तकनीकी नहीं है?

3. **समान चिकित्सा व्यवस्था** – 84 करोड़ लोग जो विकास की मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं, उन सबको एक जैसे हॉस्पिटलों में निःशुल्क उपचार तो मिलना ही चाहिए। क्या जिन्दा रहने या इलाज कराने का अधिकार केवल अमीर लोगों को ही है? सरकारी आंकड़ों के अनुसार भी लगभग 65 से 70% लोग तो बीमार होने के बाद ऐलोपैथी का मंहगा इलाज ही नहीं करा पाते तथा जो 30 से 35% लोग इलाज कराते हैं, उनमें से 50% लोग कर्ज लेकर अथवा घर या जमीन बेचकर इलाज करा पाते हैं। लगभग 70% लोग परम्परागत तरीके से भी अपना इलाज कर सकते हैं। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों से हमारे 90% से 99% रोगों का उपचार हो सकता है, इस पर व्यापक शोध व अनुसंधान होना चाहिए।

4. **चुनाव सुधार** – (i) राज्य वित्त पोषित चुनाव (स्टेट फंडिड इलैक्शन) (ii) अनिवार्य मतदान (कम्पल्सरी वोटिंग) हेतु विश्व के 32 देशों में कानून हैं। भारत में राजनीति को जवाब देह बनाने के लिए मतदान करने वाले नागरिकों को नौकरी, व्यवसाय व शासन की ओर से दी जाने वाली सुविधाओं में प्राथमिकता का प्रावधान करना। (iii) विध ानसभा एवं लोकसभा आदि के एक साथ चुनाव (साइमलटानियस इलेक्शन)। (iv) प्रत्यादेश अधिकार (राईट टू रिजेक्शन)। (v) अपराधिक पृष्ठभूमि के व्यक्तियों को चुनाव में खड़े होने पर प्रतिबन्ध का कठोर कानूनी प्रावधान आदि चुनाव सुधार होने से योग्य व निष्कलंक लोग विधानसभा व संसद में पहुँच पायेंगे और लोकतन्त्र, लूटतन्त्र बनने से बच जायेगा। संसद में बैठकर लोग राष्ट्रहित में उचित कानून बनायेंगे तथा टैक्स का पैसा पूरी ईमानदारी से देश के विकास में लगेगा।

5. **राष्ट्रीय प्रबन्धन नीति** – जल–प्रबन्धन, कचरा–प्रबन्धन, ई–गवर्नेंस प्रबन्धन, राष्ट्रीय सम्पदा प्रबन्धन की न्यायपूर्ण व पारदर्शी नीति एवं जनसंख्या नियन्त्रण की ठोस नीति आदि के द्वारा व्यवस्था को पारदर्शी व न्यायपूर्ण बनाकर देश को सर्वांगीण रूप से विकास के शिखर पर ले जाना।

6. **अंग्रेजी काले कानून खत्म करवाना तथा स्वदेशी व्यवस्था की स्थापना करना** – भूमि अधिग्रहण कानून को तुरन्त खत्म करवाना तथा शराब बन्दी का कानून बनवाकर देश को बचाना। इसी प्रकार महात्मा गांधी जी के सपनों

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बहादराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वेब : bharatswabhimantrust.org

के अनुसार अंग्रेजों के वक्त के बने 34,735 काले कानूनों में आंशिक व पूर्ण रूप से बदलाव करवाकर सच्चे कानून एवं स्वदेशी व्यवस्था का राज देश में स्थापित करना। जिस देश की कानून व्यवस्था व आर्थिक नीतियाँ ठीक होती हैं, उस देश में किसी भी तरह के अपराध, हिंसा व अशांति तथा गरीबी नहीं रह सकती। भारत को तत्काल एक नई अर्थक्रान्ति व कानून क्रान्ति की नितान्त आवश्यकता है। प्रतिवर्ष विदेशी कंपनियों के द्वारा हो रही लाखों करोड़ों रुपये की आर्थिक लूट से देश को बचाने के लिए तथा स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए जिससे देशभक्त स्वदेशी प्रेमी नागरिकों को स्वदेशी उत्पाद की पहचान हो सके इसके लिए स्वदेशी के प्रतीक चिह्न के रूप में **स्वदेशी** शब्द को स्वदेशी उत्पादों के लेबल पर प्रकाशित करने का कानून बनाना चाहिए, जैसा कि शाकाहार व माँसाहार के लिए लेबल पर हरा व लाल चिह्न छापना अनिवार्य हो गया है। ऐसी ही स्वदेशी विदेशी उत्पाद के बारे में जानना भी हमारा मौलिक अधिकार है और वह हमें मिलना ही चाहिए। ये तीन कार्य होने पर देश में एक भी व्यक्ति गरीब, अनपढ़ व बेरोजगार नहीं रहेगा साथ ही मंहगाई भी पूरी तरह नियन्त्रित होगी। एक भी किसान गरीबी से आत्महत्या नहीं करेगा तथा एक भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा। सबको समान रूप से सम्मान व स्वाभिमान के साथ जीने का हक मिलेगा।

यदि केन्द्र सरकार इसी शीतकालीन सत्र में इन तीन मुद्दों के सन्दर्भ में तत्काल कोई महत्त्वपूर्ण व निर्णायक कदम नहीं उठाती है तो उत्तर प्रदेश सहित पाँच विधानसभा चुनावों में तथा उसके बाद देश भर में एक बहुत बड़ा आन्दोलन खड़ा करने के लिए हम बाध्य होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप एक सप्ताह के भीतर ही अपनी प्रतिक्रिया से हमें अवश्य अवगत करायेंगे जिससे कि हम देशवासियों को प्रमाणिकता के साथ केन्द्र सरकार की कालाधन व भ्रष्टाचार के प्रति गम्भीरता के बारे में बता सकेंगे।

(स्वामी रामदेव)

माननीय डॉ. मनमोहन सिंह जी,
प्रधानमन्त्री भारत सरकार,
साउथ ब्लॉक, नई दिल्ली - 110011

प्रशासनिक कार्यालय : राजीव भवन, पतंजलि योगपीठ-II, महर्षि दयानन्द ग्राम, निकट बाहदराबाद, हरिद्वार-249405, उत्तराखण्ड, भारत
Administrative Office : Rajiv Bhavan, Patanjali Yogpeeth-II, Maharishi Dayanand Gram, Near Bahadrabad, Haridwar-249405, Uttarakhand, India
दूरभाष : 01334-244107, 240008 फैक्स : 01334-244805, 240664 ई-मेल : bharatswabhimanheadoffice@gmail.com वैब : bharatswabhimantrust.org